न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

बचनकौर बनाम मुखत्यार सिह आदि

प्रकरण का प्रकार 225 आरटीएक्ट क्रमांक ~~2019/00184 (184/2019)~~ 24/2020

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
24.02.2020	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के आदेश दिनांक 12.06.2017 के विरूद्ध पेश की है, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने आगामी पेशी तक अप्रार्थीगण को पाबंद करते हुए आराजी को आगामी तारीख पेशी तक रहन बैय व अन्तरित नहीं करें। यदि किसी प्रकार का उज्र एवं एतराज हो तो न्यायालय में असालतन एवं वकालतन दिनांक 11.07.2017 को उपस्थित आकर वजह जाहिर करे अन्यथा क्यों ना ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म कर दी जावे। तथा प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से तलब किये जाने के आदेश जारी होने के पश्चात् तीन दिवस के अन्दर तलबी रजिस्टर्ड रसीद प्रार्थीगण अभिभाषक को आवश्यक तौर पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। अपीलाण्ट ने उक्त आदेश की यह अपील धारा 225 आरटीएक्ट में प्रस्तुत की है। धारा 225 आरटीएक्ट निम्न प्रकार है:– **"(1) तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वरूप के आवेदन पत्र पर पारित अन्तिम आदेश तथा ऐसे आदेश जो कि अधिनियम की धारा 212 में एवं सिविल प्रक्रिया संहिता (केन्द्रीय अधिनियम 5, सन 1908)"** **"सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (14) "आदेश" से सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय की प्ररूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो डिक्री नहीं है।"** इस धारा के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि **धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अन्तिम आदेशों की अपीलें की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने आगामी पेशी तक स्थगन आदेश पारित किया है। यह आदेश अंतरिम आदेश है जो अन्तिम आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय नही है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अंतरिम आदेश होने के कारण तथा अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय नही होने के कारण अपील खारिज की जाती है।** पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.02.2020 को सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.12 16:08:49 IST
Reason: SelfAttested